



सं० 382 -मु०अ०(वा० एवं ऊ०ले०)/सी०यू०-दो/ओ०टी०एस०

दिनांक: अप्रैल, 24, 2017

विषय- एल०एम०वी०-1 (शहरी एवं ग्रामीण), एल०एम०वी०-2 (शहरी एवं ग्रामीण), एल०एम०वी०-4बी, एल०एम०वी०-5 (शहरी एवं ग्रामीण) एवं एल०एम०वी०-6 (औद्योगिक) श्रेणी के विद्युत उपभोक्ताओं के लिये विलम्बित भुगतान अधिभार ऐमनेस्टी योजना लागू किये जाने के सम्बन्ध में।

आंशिक संशोधन पत्र

ई-मेल/
स्पीड पोस्ट

प्रबन्ध निदेशक
मध्योच्चल/पूर्वाच्चल/पश्चिमोच्चल/दक्षिणोच्चल
विद्युत वितरण निगम लि०
लखनऊ/वाराणसी/मेरठ/आगरा।

प्रबन्ध निदेशक
केस्को
कानपुर

महोदय,

कृपया प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र०पा०का०लि०, लखनऊ के विद्युत उपभोक्ताओं के लिये विलम्बित भुगतान अधिभार ऐमनेस्टी योजना लागू किये जाने सम्बन्धी पत्र संख्या 358-मु०अ०(वा० एवं ऊ०ले०)/सी०यू०-दो/ओ०टी०एस० दिनांक 13.04.2017 में आंशिक संशोधन करते हुए घरेलू (ग्रामीण एवं शहरी) उपभोक्ताओं को निम्नवत किशतों में भुगतान की सुविधा अनुमन्य की जाती है। :-

एल०एम०वी०-1(ग्रामीण)

इस श्रेणी के उपभोक्ताओं को चार किशतों में भुगतान की सुविधा प्रदान की जायेगी। निम्नवत निर्धारित किशतों में प्रथम किशत के भुगतान के पश्चात शेष बकाया धनराशि को तीन बराबर मासिक किशतों में भुगतान किया जा सकता है। चार किशते निम्नवत निर्धारित होंगी :-

- पहली किशत - बकाया धनराशि का 25 प्रतिशत या रू० 10000.00 जो भी अधिक। 15.06.17 से पूर्व।
- द्वितीय किशत -शेष बकाया धनराशि का एक तिहायी। (मासिक) 15.07.17 से पूर्व।
- तृतीय किशत - शेष बकाया धनराशि का एक तिहायी। (मासिक) 15.08.17 से पूर्व।
- चतुर्थ किशत - शेष बकाया धनराशि का एक तिहायी। (मासिक) 15.09.17 से पूर्व।

एल०एम०वी०-1(शहरी)

इस श्रेणी के उपभोक्ताओं को चार किशतों में भुगतान की सुविधा प्रदान की जायेगी। निम्नवत निर्धारित किशतों में प्रथम किशत के भुगतान के पश्चात शेष बकाया धनराशि को तीन बराबर मासिक किशतों में भुगतान किया जा सकता है। चार किशते निम्नवत निर्धारित होंगी :-

- पहली किशत - बकाया धनराशि का 25 प्रतिशत या रू० 10000.00 जो भी अधिक। 31.05.17 से पूर्व।
- द्वितीय किशत -शेष बकाया धनराशि का एक तिहायी। (मासिक) 30.06.17 से पूर्व।
- तृतीय किशत -शेष बकाया धनराशि का एक तिहायी। (मासिक) 31.07.17 से पूर्व।

(iv) चतुर्थ किश्त –शेष बकाया धनराशि का एक तिहायी। (मासिक) 31.08.17 से पूर्व।

सम्बन्धित वितरण खण्ड द्वारा उक्त किश्तों के सम्बन्ध में एक रजिस्टर रखा जायेगा जिसमें की प्रथम किश्त के विवरण को अंकित करते हुये यह सुनिश्चित किया जायेगा की सभी आगामी किश्तों का भुगतान उपभोक्ता द्वारा निर्धारित समयावधि पर किया जाये। यदि कोई उपभोक्ता निर्धारित धनराशि से अधिक धनराशि का भुगतान करना चाहता है तो उसपर प्रतिबन्ध नहीं है।

योजना की अन्य नियम एवं शर्तें यथावत रहेंगी।

(संजय कुमार सिंह)
निदेशक (वाणिज्य)

पत्रांक: /मु0अ0(वा0 एवं ऊ0ले0)/ओ0टी0एस0 तददिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

ई-मेल

1. निदेशक (वाणिज्य), पूर्वांचल/मध्यांचल/पश्चिमांचल/दक्षिणांचल, विद्युत वितरण निगम लि0, वाराणसी/लखनऊ/मेरठ/आगरा, केस्को, कानपुर।

ई-मेल

2. मुख्य अभियन्ता (वितरण), पूर्वांचल/मध्यांचल/पश्चिमांचल/दक्षिणांचल, विद्युत वितरण निगम लि0, वाराणसी/लखनऊ/मेरठ/आगरा, केस्को, कानपुर।

✓ 3. अधिशासी अभियन्ता, कम्प्यूटराईजेशन इकाई, उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ को पावर कारपोरेशन की वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।

(संजय कुमार सिंह)
निदेशक (वाणिज्य)